

प्रेस नोट - सर्विलांस सेल जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक - 02.09.2026

“सर्विलांस सेल/जनपदीय एस0ओ0जी0 एवं थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 151 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत ₹35 लाख) बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किए।”

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0 के कुशल नेतृत्व में शाहजहाँपुर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

गुम हुये मोबाइल फोन के संबंध में शिकायतकर्ताओं के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत की जाती है। जिन पर सर्विलांस सेल द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जाती है। उक्त क्रम में आज दिनांक 02.09.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार जनपद शाहजहाँपुर में सर्विलांस सेल/जनपदीय एस0ओ0जी0 व थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम द्वारा बरामद किए गए कुल 151 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत-35 लाख रु0) को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल फोन मिलने पर आवेदकों/ शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शाहजहाँपुर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

गुम हुए मोबाइल फोन के लिए आवेदक द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही:-

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु “CEIR (Central Equipment Identity Register)” पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने

गुम/चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकता है।

पंजीकरण प्रक्रिया इस प्रकार है:-

1. पोर्टल लिंक पर जाएं – <https://www.ceir.gov.in/General/index.jsp>
2. “Block Stolen/Lost Mobile” विकल्प चुनें।
3. मोबाइल का IMEI नंबर, सिम विवरण, और शिकायत संख्या दर्ज करें।
4. थाना स्तर से सत्यापन उपरांत मोबाइल को ट्रैक करने की कार्रवाई की जाती है।
5. जब मोबाइल बरामद हो जाए तो “Unblock Found Mobile” विकल्प से मोबाइल को अनब्लॉक करें।
6. मोबाइल गुम होने के पश्चात साइबर अपराध की संभावना बढ़ जाती है, अतः संबंधित सिम को तुरंत बंद कराकर दोबारा रि-इश्यू (Reissue) कराएं, जिससे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की संभावना समाप्त हो जाए।
7. मोबाइल खरीदते समय उसका IMEI नंबर नोट कर सुरक्षित रखें।
8. यदि मोबाइल गुम/चोरी हो जाए तो तुरंत निकटतम थाना या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें।
9. किसी भी अनजान व्यक्ति या लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी या बैंकिंग डिटेल साझा न करें।
10. गुमशुदा मोबाइल की रिपोर्ट थाना पुलिस व CEIR पोर्टल दोनों पर दर्ज करें ताकि ट्रैकिंग शीघ्र आरंभ हो सके।

भविष्य के लिए अपील:-

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि वे भविष्य में अधिक सतर्कता बरतें। यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन गुम अथवा चोरी हो जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन पर दें, ताकि समय से आवश्यक पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 151 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत- 35 लाख)।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 श्री मोहन देव शर्मा, प्रभारी सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0, जनपद शाहजहाँपुर।
- 2.का0 पुष्पेन्द्र कुमार सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
- 3.का0 प्रभात सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
- 4.का0 मुकुल खोखर सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
- 5.का0 सचिन कुमार सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
- 6.का0 आकाश बाना सर्विलांस सेल शाहजहाँपुर।
- 7.जनपदीय एस0ओ0जी0 टीम।

सहयोगी टीम-

1. क0आ0 अशोक, साइबर हेल्प डेक्स, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 शुभम पुनिया, साइबर हेल्प डेक्स, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 रवि, साइबर हेल्प डेक्स, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर
4. क0आ0 आरिफ, साइबर हेल्प डेक्स, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर
5. क0आ0 नवनीत, साइबर हेल्प डेक्स, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर
6. क0आ0 रोहित कुमार, साइबर हेल्प डेक्स, थाना रा0च0मिशन, जनपद शाहजहाँपुर
7. क0आ0 राजेश, साइबर हेल्प डेक्स, थाना पुवायॉ, जनपद शाहजहाँपुर
8. क0आ0 शोहित, साइबर हेल्प डेक्स, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर
9. क0आ0 परमीत कुमार, साइबर हेल्प डेक्स, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर
- 10.क0आ0 अखिलेश कुमार, साइबर हेल्प डेक्स, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर
- 11.म0का0 नीलम, साइबर हेल्प डेक्स, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर
12. अन्य थानों के कम्प्यूटर ऑपरेटर/कर्मचारीगण जनपद शाहजहाँपुर।

नोट - शाहजहाँपुर पुलिस आमजन से विशेष अपील करती है कि गुम अथवा चोरी हुए मोबाइल फोन की सूचना तत्काल CEIR पोर्टल पर दर्ज कराकर मोबाइल को ब्लॉक कराएं, जिससे मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके तथा तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से उसकी शीघ्र एवं सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।